फर्द अहकाम

प्रकरण बनाम

न्यायालय

केस संख्या 75/10 T.I.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04/7/18	ब.क.उप/ सम्मन तलबाना पेश किये। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 14/2/18 को पेश हो।	
	14/2/18	ब.क.उप/ उपाधि वि. 2 के काउन्सिल की ओर से श्री हीरालाल पैनी एड. ने वकालत दी। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/3/18 को पेश हो।	V.T. फिर सम्नामूलक के वादिगण की ओर से हीरालाल
	20/3/18	पक्षों द्वारा आज काउन्सिलर/ कार्य विशेषित रखी जाने से स्थानांतरण आज्ञानुसार दिनांक 23/4/18 को पेश हो।	
	23/4/18	ब.क.उप/ बहस हेतु समय चाहते हैं पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/6/18 को पेश हो।	
	27/6/18	आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम चोकलाई में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली काफी समय से बहस T.I. हेतु लम्बित चली आ रही है मूल वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है प्रकाशन में दिनांक 13/8/10 को अस्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया [illegible] पैरवी हेतु की गई। इस [illegible] न्यायालय द्वारा जारी [illegible] दिनांक 13/8/10 को [illegible] मूल वाद कन्फर्म की जाती है पत्रावली फिस्ल शुमार होकर पूर्व नम्बर से कायम हो तथा मूल वाद के साथ रहे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:49:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner